

सिद्धी समुदाय के इलाकाई

(आदेश 21 नियम 8.7 चावा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं सप्लाइंग अधिकारी जायल जिला नागौर
पेटासोल अधिकारी : अनिताषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 228 / 2023

वादी

1. डी.एस.एस. मुन्न सायताराम
2. सन्माल मुन्न सायताराम जाति चरीमा निवासी नूरियास तहसील जायल जिला नागौर

बनान

प्रतिवादीनाम

1. मन्सिंह मुन्न सायताराम जाति चरीमा निवासी नूरियास तहसील जायल जिला नागौर
2. राज्य सरकार जोस्ये तहसीलदार जायल

चावा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1. वादी 1 से 2 को ओर से श्री हनुमानराम मण्डा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 को ओर से श्री नोबिनंदराम ढाका एडवोकेट

:: डिफेंड आदेश ::

यह मुकदमा आज वास्तु इनफिनास कालेई करक इनारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा व प्रतिवादीनाम के अधिवक्ता श्री नोबिनंदराम ढाका एडवोकेट की उपस्थिति में हुवन दिया जाता है व हिमने की जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 डी.एस.एस. के हक बंट करके कायल खातेदारी में नौजा नूरियास के खेत खसरा नम्बर 1229/43 संख्या 3.22375 हैक्टेयर में से संख्या 2.1583 हैक्टेयर नाफिक नजरी नकरानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 सन्मालसिंह के हक बंट करके कायल खातेदारी में नौजा नूरियास के खेत खसरा नम्बर 1229/43 संख्या 3.22375 हैक्टेयर में से संख्या 1.0792 हैक्टेयर नाफिक नजरी नकरानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 मन्सिंह के आराजो भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अमन हक त्याग करने से प्रकरण पुरतैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरमद की कार्यवाही करे।
4. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नकशा डिफेंड आदेश का भाग रहेगा।
5. उक्त खसरा में से बैंक के रहन खसरा का रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

सहायक कलक्टर
(स.डी.ओ.) जायल